तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दीवानी वाद संख्या : 13 / 2023 सीता व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2025	वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 (3) सीपीसी व फर्द के साथ दस्तावेज पेश किया गया, नकल दिलाई गई, शामिल पत्रावली रहे। उक्त प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश ना करते हुए सीधे ही मौखिक बहस किए जाने का निवेदन किया, जिस पर बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। इस आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजात् को रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि उक्त दस्तावेजात प्रकरण से सुसंगत नहीं हैं। उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण में केवल मात्र देरीना कारित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है। ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादपत्र इस आशय से पेश किया गया है कि वादी संख्या 1 के पति तथा 2 लगायत 3 के पिता स्व. हरजी को प्रतिवादी संख्या 1 एवं 4 द्वारा खसरा संख्या 771 / 506 रकबा 1.2535 है. वाके ग्राम गरनारा तहसील एवं जिला बूंदी करीब 50 वर्ष पूर्व आवंटित की गई थी। हरजी का देहांत होने के पश्चात उक्त भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। उक्त भूमि में आने–जाने,	

सिविल न्यायाधीश
बून्दी (राज०)

ट्रेक्टर–ट्रोली आदि ले जाने हेतु करीब 40 वर्षों से अधिक समय से लगातार रूप से खसरा संख्या 509 देवरा देवजी की भूमि 0.1999 है. को छोड़कर उत्तर दिशा की तरफ खसरा संख्या 507 के मध्य भाग से रास्ता निकला हुआ है, जिसका उपयोग–उपभोग पूर्व में वादी संख्या 1 के पति, वादी संख्या 2 व 3 के पिता तथा उनके देहांत के पश्चात वादीगण निरंतर रूप से करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त खसरा संख्या 507 रकबा 2.0686 है. किस्म गै.मु.बरडा में से 2.000 है. भूमि को वाके ग्राम गरनारा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन व खेल मैदान हेतु शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बूंदी को आवंटित कर दिया गया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीगण की भूमि में खसरा संख्या 508 से खसरा संख्या 507 में से वादीगण की भूमि में जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वांछित स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणा एवं आदेशात्मक आज्ञा अनुतोष प्राप्त करने हेतु उक्त वाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में यदि पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अधिवक्ता वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र साक्ष्य वादी के स्तर पर पेश किया गया है तथा वर्तमान तक किसी भी गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं हुए हैं। साथ ही यहां यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जिन दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहा गया है, उन दस्तावेजात की प्रति अधिवक्ता वादीगण द्वारा पूर्व से ही पत्रावली पर दावा प्रस्तुति के समय ही मय फर्द पेश की जा चुकी हैं। साथ ही वादीगण द्वारा

सिविल न्यायाधीश
बून्दी (राज०)

उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया जाए तो न्यायालय के विनम्र मत में चूंकि उक्त दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण में सुसंगत हैं, ऐसे में उन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त दस्तावेजात की Genuinity/Evidentiary Value के संबंध में प्रक्रम के इस स्तर पर कोई राय कायम नहीं की जा सकती है। अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 06/10/2025 को पेश हो। चूंकि पत्रावली साक्ष्य वादी के स्तर पर है, ऐसे में आगामी पेशी पर अधिवक्ता वादीगण आवश्यक रूप से गवाह को पेश करें एवं गवाह के न्यायालय में उपस्थित आने पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण उक्त गवाह से जिरह करने हेतु आवश्यक रूप से उपस्थित रहें।

23/09/2025
सिविल न्यायाधीश
बून्दी (राज०)